भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

03.12.2025 के

तारांकित प्रश्न सं. 60 का उत्तर

रेलगाड़ियों और रेल परिसरों में महिला यात्रियों के प्रति हिंसा/हमले

***60. श्री के. राधाकृष्णन:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में रेलगाड़ियों और रेल परिसरों में महिला यात्रियों के प्रति हिंसा और हमलों की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है जिसमें हाल ही में राज्य में वर्कला में सूचित रेलगाड़ी में हुए हमले का चौंकाने वाला मामला भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा केरल से आरंभ होने वाली या वहां से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में रेल सुरक्षा बल कर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे लगाने, आपातकालीन हेल्पलाइन और विशेषकर महिलाओं के लिए किए जाने वाले उपायों सहित यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने निगरानी, प्रकाश व्यवस्था, स्टेशन पर सुरक्षा और रेलगाड़ी में गश्त संबंधी प्रणालियों में कमियों, जिनके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रभावित महिलाओं और उनके परिवारों को तत्काल और पर्याप्त मुआवजा देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे मामलों में रेलवे से समय पर राहत और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा तंत्र विद्यमान है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 03.12.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 60 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के माध्यम से रेलों में अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, पंजीकरण और जांच तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने आदि के लिए उत्तरदायी हैं। रेल सुरक्षा बल यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है।

02.11.2025 को, रेलगाड़ी संख्या 12626 में एक महिला यात्री, जो डिब्बे के फुटबोर्ड पर बैठकर यात्रा कर रही थी, को वर्कला रेलवे स्टेशन के पास एक अन्य यात्री जिसने जाहिर तौर पर शराब पी रखी थी, द्वारा जबरदस्ती बाहर फेंक दिया गया। पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में, जीआरपी/तिरुवनंतपुरम ने आरोपी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 109बीएनएस के तहत अपराध संख्या 566/2025 दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। इस घटना की पुष्टि कोच के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे से मिली तस्वीरों से भी हुई। इसके अलावा, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय रेल पर महिला यात्रियों की संरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। केरल में गाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर महिला यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए राजकीय रेल पुलिस के सहयोग से रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. **संवेदनशील और पहचाने गए मार्गों/खंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा प्रतिदिन रेलगाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा, रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।**

2. **'मेरी सहेली' पहल के तहत, लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की संपूर्ण यात्रा अर्थात् प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक संरक्षा व सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।**

3. **यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अधिकांश सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न कैमरों द्वारा निगरानी की जाती है।**

4. तत्काल सहायता के लिए यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 (इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) नंबर 112 के साथ एकीकृत) के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

5. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलवे ट्विटर और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है।

6. चोरी, छीना-झपटी, जहरखुरानी आदि के प्रति सावधानी बरतने के लिए यात्रियों को सचेत करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जाती हैं।

7. क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टियों में जहाँ तक संभव हो पुरुष और महिला आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों की उचित संयुक्त संख्या की तैनाती करें।

8. महिला यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुष यात्रियों के प्रवेश करने के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और अपराधियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

9. रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) गठित की गई हैं।

******